न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्र0सं0 01/2007

प्रा0पत्र 0–21 R-11 CPC

उनवान प्रकरण

1. उदयराम जाट पिता चतरभुज जाट निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. मदनसिंह पिता रूपसिंह राव निवासी नांदशा के तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता</u>

निर्णय दिनांक 31.01.2020

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र 0–21 R-11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाद पत्र प्रकरण संख्या 02/2019 अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0ए दिनांक 19.07.1994 को को निर्णित किया जा कर डिक्री जारी की गई। डिक्री की पालना हेतु इजराय <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता</u> प्रस्तुत किया जो बाद जांच प्र0स0 01/2007 इजराय दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये गये। तामिल रिपोर्ट अनुसार विपक्षीगण का फौत होना बताया गया। तहसीलदार सहाड़ा को पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई पालना रिपोर्ट जरिये पत्रांक 1144 दिनांक 13.10.2008 से प्राप्त हुई जिसके अनुसार प्रकरण संख्या 02/91 में डिक्री की पालना करने हेतु पटवारी हल्का को लिखा गया रिपोर्ट पटवारी अनुसार निवेदन है कि गत आराजी नं0 1210 रकबा 8 बीस्वा एंव आराजी संख्या 1211 रकबा 1 बीघा 6 बीस्वा किता 2 रकबा 1 बीघा 14 बीस्वा है के नये आराजी नं0 2274 रकबा 0.29, 2275 रकबा 0.02, 2276 रकबा 0.06 कुल किता 3 रकबा 0.37 हे0 बने है। वादी श्री उदयराम पिता चतरभुज जाट निवासी नांदशा ने मदनसिह पिता रूपसिंह तथा भंवरलाल पिता रामलाल राव के विरूद्ध प्रकरण संख्या 02/91 से श्रीमान् के न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाया था। जिसका निर्णय दिनांक 21.07.1994 को वादी के पक्ष में हुआ था।

यह कि वर्तमान में उक्त वर्तमान आराजी संख्या 2274, 2275 व 2276 रतनलाल, मोहनलाल, शंकरलाल, भंवरलाल, बद्रीलाल पिता कालूराम जाट के नाम से दर्ज रेकार्ड है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण दर्ज किया जाना संभव नहीं है।

उक्त रिपोर्ट के संदर्भ में दिनांक 28.07.2009 तहसीलदार सहाड़ा को पुनः तहरीर जारी की जाकर उक्त भूमि खातेदारों के नाम किस प्रकार दर्ज हुई। बाद जांच तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार सहाड़ा के पत्रांक 34 दिनांक 03.09.2009 से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार ग्राम नांदशा के आराजी नं0 1210 रकबा 8 बीस्वा एवं आराजी नं 1211 रकबा 1 बीघा 6 बीस्वा किता 02 रकबा 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:20:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

बीघा 14 बीस्वा भूमि की रेकार्ड अनुसार जांच की गई जिसकी रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

यह कि ग्राम नांदशा के आराजी न0 1210 रकबा 8 बीस्वा एवं आराजी नं 1211 रकबा 1 बीघा 6 बीस्वा किता 02 रकबा 1 बीघा 14 बीस्वा भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व मदनसिंह पिता रूपसिंह राव एवं भंवरलाल राव निवासी नदंशा के नाम दर्ज रेकार्ड थी।

यह कि उक्त भूमि खातेदारों द्वारा 17.11.1990 को विक्रय पत्र द्वारा रतनलाल, मोहनलाल, भंवरलाल, बद्रीलाल पिता कालूराम जाट निवासी नांदशा को विक्रय कर दी गई।

यह कि भू–प्रबंध के दौरान विभाग द्वारा इस विक्रय पत्र का नामान्तरणकरण केता गण के पक्ष में नामान्तरण संख्या 134 दिनांक 16.04.1991 को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक तक उक्त भूमि रतनलाल, मोहनलाल, भंवरलाल, बद्रीलाल पिता कालूराम जाट निवासी नांदशा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है।

यह कि आराजी नं0 1210 एवं 1211 के नवीन आराजी नं0 2274 रकबा 0.29 हे0, आराजी नं0 2275 रकबा 0.02 हे0 एवं आराजी नं0 2276 रकबा 0.06 हे0 किता 3 रकबा 0.37 हे0 भूमि बने है। एंव वर्तमान रेकार्ड में उक्त भूमि रतनलाल, मोहनलाल, भंवरलाल, बद्रीलाल पिता कालूराम जाट निवासी नांदशा के नाम दर्ज रेकार्ड है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र/इजराय 0–21 R-11 CPC खारिज किये जाने योग्य है। उक्तानुसार उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस भी सुनी गई जिसमें प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। मैने पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार सहाड़ा की तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी /डिक्रीदार द्वारा उक्त भूमि 17.11.1990 को विक्रय पत्र द्वारा रतनलाल, मोहनलाल, भंवरलाल, बद्रीलाल पिता कालूराम जाट निवासी नांदशा को विक्रय कर दी गई। भू–प्रबंध के दौरान विभाग द्वारा इस विक्रय पत्र का नामान्तरणकरण केता गण के पक्ष में नामान्तरण संख्या 134 दिनांक 16.04.1991 को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक तक उक्त भूमि रतनलाल, मोहनलाल, भंवरलाल, बद्रीलाल पिता कालूराम जाट निवासी नांदशा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। एवं आराजी नं0 1210 एवं 1211 के नवीन आराजी नं0 2274 रकबा 0.29 हे0, आराजी नं0 2275 रकबा 0.02 हे0 एवं आराजी नं0 2276 रकबा 0.06 हे0 किता 3 रकबा 0.37 हे0 भूमि बने है। एंव वर्तमान रेकार्ड में उक्त भूमि रतनलाल, मोहनलाल, भंवरलाल, बद्रीलाल पिता कालूराम जाट निवासी नांदशा के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी / डिक्रीदार का 0–21 R-11 CPC का प्रार्थना पत्र/इजराय स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव:

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:20:29 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थी/डिक्रीदार का [illegible] अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का न्यायालय द्वारा पोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 31.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

2.

Scanned by CamScanner